संख्या-1753/18-1-14-09(नि0)/2014

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम/निगम, उ0प्र0।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1   लखनऊः दिनांक 27 अक्टूबर,2014

विषय- उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि., कानपुर को उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों /अर्द्ध शासकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि हेतु 'मैन पावर' उपलब्ध कराने हेतु 'मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी' नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, लि0, कानपुर के पत्र संख्याः 832/उपसिक/कार्मिक/2014-15, दिनांक 16.09.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को विभिन्न शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों/सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ स्वास्थ्य सेवायें/ शिक्षा सेवायें/सुरक्षा सेवायें/ परिवहन सेवायें/ पंचायती प्रशासनिक संस्थाएं/केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर चलायी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं आदि हेतु यथाआवश्यकता प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के तकनीकी/गैर तकनीकी, अस्थायी कर्मचारियों/श्रम शक्ति तथा प्रदेश के अन्दर कार्यरत विभिन्न संस्थानों को सुरक्षा सेवाओं हेतु प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/आर्म्स सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन 'मैनपावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी' नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/संस्था/संस्थान आदि जिन्हें विभिन्न प्रकार की जनशक्ति की आवश्यकता होगी वह अपनी आवश्यकतानुसार उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को सीधे मांग प्रेषित करेंगे।
2. सभी राजकीय विभागों/निगमों/संस्थाओं के लिए उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के माध्यम से ही आउट सोर्सिंग पर कार्मिक इंगेज करने की बाध्यता नहीं होगी, वरन विकल्प के रूप में उ.प्र. लघु. उद्योग निगम लि0, कानपुर को मैनपावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी माना जायेगा।
3. उ0प्र0लघु उद्योग निगम द्वारा जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने पर संबंधित

शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम/ निगम/ संस्था/संस्थान आदि तथा उ0प्र0लघु उद्योग निगम के बीच एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4. आउट सोर्सिंग के माध्यम से इंगेज कार्मिक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, अनुपयुक्त पाये जाने पर उसके स्थान पर अन्य कार्मिक तत्काल उपलब्ध कराने एवं इंगेज कार्मिक के पारिश्रमिक का भुगतान ससमय किये जाने की पारदर्शी व्यवस्था हेतु सामान्य नीति, कार्मिक विभाग/वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।
5. कार्मिक के पारिश्रमिक का निर्धारण उ0प्र0 श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जायेगा।
6. पारिश्रमिक की धनराशि में सम्मिलित सेवा प्रदाता का कमीशन, सर्विस टैक्स, आयकर व अन्य विधिक देयकों को संबधित विभागों में ससमय जमा कराने का दायित्व उ0प्र0 लघु उद्योग निगम का होगा।
7. आउट सोर्सिंग से इंगेज किये गये कार्मिक के किसी अपकृत्य के लिए सेवा प्राप्त करने वाले विभाग को होने वाली हानि के लिए उ0प्र0 लघु उद्योग निगम उत्तरदायी होगा।
8. उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से इंगेज हुए कार्मिक किसी भी दशा में उ.प्र. लघु उद्योग निगम, कानपुर, अथवा संबधित विभाग/निगम/ संस्था जहां इंगेज हो रहा है, का कार्मिक नहीं माना जायेगा।
9. उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा माँगे गये कार्मिकों के क्रम में आपूर्ति किये जाने की दशा में कार्मिकों को दिये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के रुप में लिया जायेगा।
10. उ0प्र0लघु उद्योग निगम द्वारा संविदा पर जनशक्ति उपलब्ध कराने के दृष्टिगत् विभिन्न श्रम संविदा नियमों/कर्मचारी कल्याण नियमों एवं अन्य सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उ0प्र0 शासन के कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में सामान्य नीति बनायी जा रही है। कार्मिक विभाग की सामान्य नीति के प्रख्यापन के पश्चात् उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा सामान्य नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अपने अधीनस्थ विभागों/अर्द्ध शासकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये उ0प्र0 लघु उद्योग निगम से यथा आवश्यक "मैन पावर" प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1753(1)/18-1-14तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
3. प्रबन्धक निदेशक, उ0 प्र0, लघु उद्योग निगम, लि0, कानपुर।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0शासन।
5. कार्मिक/ सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।